प्रकरण संख्या UD-V 12/2019 गणपतलाल बनाम गणपतलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। अपीलान्ट/प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने वक्त बहस निवेदन किया कि आप न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो विचाराधीन थी। दौराने अपील रामलाल ने वादग्रस्त आराजी का कुछ भाग रेस्पोन्डेन्ट से क्रय किया, जबकि उक्त क्रय शुदा आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का था, किन्तु क्रय के आधार पर भूमि रामलाल के नाम दर्ज हो गयी इसलिए अपीलान्ट ने रामलाल को पक्षकार बनाने हेतु आप न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का आवेदन पेश किया गया, जिस पर दिनांक 20.08.2019 को बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश में रखी गयी, किन्तु आप न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय किये बिना मूल अपील ही निर्णित कर दी गयी, जिस पर पुर्नविचार किया जाना आवश्यक है। अतः पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आप न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2019 अपास्त की जावे तथा विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किये जाने का आदेश फरमाया जावे। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.09.2019 को जो निर्णय पारित किया गया है वह 15 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के कारण मयाद के बिन्दु पर खारिज किया गया है, गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया गया है। जब अपील मयाद के बिन्दु पर खारिज होती है तो उसके बाद अपील में प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई न्यायोचित नहीं है। यदि अपीलान्ट न्यायालय हाजा के निर्णय से असन्तुष्ट थे तो उन्हें सक्षम न्यायालय में उसे चुनौती देनी थी, किन्तु अपीलान्ट ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देकर न्यायालय हाजा में पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपीलान्ट/प्रार्थीगण का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अनीता मीना) [illegible]न्ध अधिकारी एवं [illegible] अपील अधिकारी [illegible]दयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.01 13:49:28 IST
Reason: SelfAttested